(170)

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय म०प्र० राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट रीवा

जिला रीवा

श्री संतोष कुमार मिश्रा (advocate) एड० द्वारा पेश 11.7.16

11.7.16

निगरानी प्रकरण क्र० R. 5306-पी/16

रामकृपाल मिश्रा तनय बैजनाथ मिश्रा निवासी ग्राम महिहल खुर्द, तह० रामपुरबाघेलान जिला सतना म०प्र० --------------- आवेदक

वनाम

1- श्रीमती गिरजा पुत्री कमला पत्नी चन्द्रभान तिवारी निवासी ग्राम महिहल खुर्द तह० रामपुर बाघेलान जिला सतनाम०प्र०

2-लालमन तनय शिवनारायण निवासी महिहल हाल मुकाम ढेकहा रीवा, तहसील हुजूर, जिला रीवा म०प्र०

3- श्यामलाल तनय शिवनारायण साकिन ~~महिहलखुर्द~~ मऊ तह० अमरपाटन जिला सतना म०प्र०

4- शोभीलाल
5- लीलाल
6- रामसजीवन

तनय राधिका प्रसाद सभी निवासीगण ग्राम मऊ तह० अमरपाटन जिला सतना म०प्र०

7- वेवा वालमीक

8- नन्दनी तनय वाल्मीक

9- रामजी तनय वालमीक सभी निवासीगण ग्राम करबट तहसील हुजूर, जिला रीवाम०प्र०

10- शासन म०प्र० ------------ अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध आदेश तहसीलदार महोदय, तहसील रामपुरबाघेलान जिला सतना दिनांक 10-5- 16 बावत प्रकरण क्र०

23अ-74/15-16

अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भूराजस्व संहिता सन 1959ई0

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-

1- यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवम प्रक्रिया के विपरीत है।

2- यहकि अनुविभागीय अधिकारी रामपुर बाघेलान के अपील प्रकरण क्रमांक 73-74 अपील/ 2008/09 आदेश दिनांक 9-12-10 एवम10-12-10 के विरुद्ध अपर कमि0 रीवा के न्यायालयमे अपील विचाराधीन है परन्तु अपर कमि0 रीवाके यहाँ अ010क्र01 वघान्तिविश तारीख 18-2-14 को प्रकरण अदम पैरवीमे निरस्त कर दिया जिसके तत्काल बाद पुर्नस्थापन की कार्यवाही अपर कमिश्नर रीवाके न्यायालय मे करदी गयी और प्रकरण अभी भी अपर कमिश्नर रीवा के न्यायालय मे विचाराधीन है, जिसकी आली पेशी 11-8-16 नियत है।

3- यहकि अपर कमि0 रीवा के न्यायालयके अदम पैरवी मे खारिज आदेश दिनांक 18-2-14 के बावत आवेदक पक्ष को सूचना सुनवाई का मौका देना चाहियेथा परन्तु अधीनस्थन्यायालय ने बिना व्यक्तिश: सम्मन व सूचना कराये मात्र किसी अखबार मे एक दम गलत तरीकेसे सम्मन की औपचारिकता दिखाकर आलोच्य आदेश पारित कराया है जबकि व्यक्तिश: सम्मन सूचना कराया जाना आज्ञापक था, तत्पश्चात चस्पानगी आदि कार्यवाही करानी चाहिये थी परन्तु बिना सम्मन सूचना के आलोच्य आदेश पारित कर अधीनस्थ न्यायालय ने भूल की है।

4- यहकि निगरानी अन्दरम्याद है व अलोच्य आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत है।

(170)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R. 5306 - दो/16 जिला– सतना

रामकृपाल मिश्रा विरूद्ध श्रीमती गिरजा तिवारी वगैरह

(1)	(2)	(3)
19.12.18–	1. आवेदक की ओर से श्री संतोष कुमार मिश्रा रत्नभाल अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार/ ~~नायब तहसीलदार/राजस्व निरीक्षक~~, तहसील रामपुर बाघे. के प्रकरण क्रमांक 23/अ74/15-16 में पारित आदेश दिनांक 10-5-16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 14.3.19 को कलेक्टर सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	

महोदय, तहसील रामपुरबाघेलान जिला सतना

दिनांक 10-5-16 बावत प्रकरण क्र